# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार– 249404

*Website: www.ukpsc.gov.in*

*संख्या :: 772/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा–01/2019–20* *दिनॉक :: 04 मार्च, 2021*

**उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा, 2020**

## विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा, 2020 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– A-1/S-1/2020, दिनॉंक 09 अक्टूबर, 2020 एवं विज्ञप्ति संख्या– 642/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा–01/2019–20, दिनॉंक 26 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन **दिनॉंक 21 मार्च, 2021 (रविवार)** को निर्धारित है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु औपबन्धिक रुप से अर्ह अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित शासनादेश– **820/USDMA/792(2020),** दिनॉंक 29 नवम्बर, 2020 में **COVID-19** के सम्बन्धित वर्णित प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन करते हुए परीक्षा तिथि को प्रवेश–पत्र **(Admit-Card)** में उल्लिखित निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्रों पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से कोई सूचना/प्रवेश–पत्र **(Admit-Card)** प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

**02.** प्रश्नगत स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा तिथि को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है :–

**(01) अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर फेस मास्क एवं सेनेटाईजर लेकर आना अनिवार्य है।**
**(02) अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित हो जायं।**
**(03) अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में अपने पीने हेतु पानी की बोतल साथ रखें।**
**(04) अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में अनावश्यक इधर–उधर विचरण नहीं करेंगे।**
**(05) अभ्यर्थी एक दूसरे से छः फिट की दूरी का पालन करें।**
**(06) खॉसते या छींकते समय टीश्यू पेपर/रुमाल से मुँह और नाक को ढकें। टीश्यू पेपर को डस्टबिन में ही डालें।**
**(07) परीक्षा केन्द्र में इधर–उधर थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।**

**-Sd-**
**(कर्मेन्द्र सिंह)**
**सचिव।**